(174)

कार्यालय :– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची
E-mail :- addlpccfdevelopment@gmail.com, Phone & Fax No. 0651-2481813

झारखण्ड सरकार

पत्रांक : 01/यो0बजट–46/2015 (खण्ड–5)– 697 दिनांक : 18.05.2016

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल, राँची/ खूँटी वन प्रमण्डल, खूँटी/ सिमडेगा वन प्रमण्डल, सिमडेगा/ गुमला वन प्रमण्डल, गुमला/ लातेहार वन प्रमण्डल, लातेहार/ जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर/ सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला/ चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा/ कोल्हान वन प्रमण्डल, कोल्हान/ पोड़ाहाट वन प्रमण्डल, पोड़ाहाट/ दुमका वन प्रमण्डल, दुमका/ गोड्डा वन प्रमण्डल, गोड्डा/ पाकुड़ वन प्रमण्डल, पाकुड़/ साहेबगंज वन प्रमण्डल, साहेबगंज/ जामताड़ा वन प्रमण्डल, जामताड़ा/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, लातेहार/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, राँची/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, सिमडेगा/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, आदित्यपुर/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, चाईबासा/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, दुमका/ विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमण्डल, दुमका

विषय :– वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2018–19 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" (पुरानी–पथतट रोपण–सह–शहरी वानिकी) योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत बाँस गैबियन से किये गये वृक्षारोपण का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) के लिए कुल **रू0 264.411 लाख (दो करोड़ चौंसठ लाख एकतालीस हजार एक सौ रूपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:– विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0बजट–67/2015–42/स्वी0 व0प0 दिनांक 26.10.2015 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0ब0–67/2015– 26/आ0 व0प0 दिनांक 25.04.2015 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406–वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–01 वानिकी, लघु शीर्ष– 102 समाज तथा फार्म वानिकी, उप शीर्ष–59–अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रू0 264.411 लाख (दो करोड़ चौंसठ लाख एकतालीस हजार एक सौ रूपये) मात्र** का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :–

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19P240601102590103	203.531
आपूर्ति एवं सामग्री	19P240601102590323	60.880
कुल :–		**264.411**

F:\DEVELOPMENT\2016-17\Allotment\OA\RSP\42 dt 26.10.2015 (4)\S.O. 42 dt 26-10-2015 (4).doc

(173

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत्यादेश के **अनुलग्नक–1** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने–अपने कार्यालयों के कार्यो के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक–2** एवं कार्यदर **अनुलग्नक–3** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या– पी0 19P240601102590103 तथा पी0 19P240601102590323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस कार्यालय के पत्रांक 538 दिनांक 13.04.2016 द्वारा 221.61 रू0 प्रति मानव दिवस के आधार पर राशि की माँग की गई थी। लेकिन सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में प्राप्त प्रशासनिक स्वीकृति 206.17 रू0 प्रति मानव दिवस पर आवंटन उपलब्ध करायी गयी है। वर्त्तमान में प्राप्त आवंटन के अनुरूप मजदूरी दर 218.50 रू0 प्रति मानव दिवस के अनुरूप उप आवंटन की जा रही है, शेष राशि 3.11 रू0 प्रति मानव दिवस के आधार पर सरकार से आवंटन प्राप्त होने के उपरान्त मजदूरी मद की राशि उप आवंटित की जायेगी।

5. राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/ उप कोषागार से की जायेगी तथा कोषागार संहिता के नियम–300 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।

6. वन प्रमण्डलों द्वारा "स्थल विशेष प्राक्कलन" श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 की निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर एवं कार्य दरों पर तैयार किया जायेगा तथा प्राक्कलन पर वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या 564 दिनांक 18.02.2008 के अनुसार प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम वन पदाधिकारियों द्वारा प्रदान की जायेगी। एक प्रति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय को समर्पित करेंगे।

नियंत्री तथा व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप ही रखा जायेगा तथा राशि का व्यय वास्तविक रूप से स्थल विशेष प्राक्कलन पर प्रदत तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक अनुमोदन तक सीमित रखा जायेगा।

7. बाँस गैबियन में कम से कम पाँच फीट औसत ऊँचाई के काष्ठ, फल एवं शोभदार प्रजाति के पौधें वृक्षों का रोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण योजना के सामपन वर्ष में औसत 8 फीट सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) के अन्त में औसत 11 फीट एवं चतुर्थ वर्ष (द्वितीय सम्पोषण कार्य) में 15 फीट औसत ऊँचाई प्राप्त किया जायेगा।

8. स्वीकृत की जा रही राशि का आवंटन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या 301 दिनांक 11.03.2015 के आलोक में वन एवं पर्यावरण विभाग के स्तर से निर्गत किया जायेगा।

9. नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनान्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह वन एवं पर्यावरण विभाग को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्रक पदाधिकारियों एवं सबंधित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रसार वानिकी/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक द्वारा योजना के कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन की एक प्रति इस कार्यालय को अभिलेख हेतु प्रेषित करेंगे।

10. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जयेगा कि किसी भी परिस्थति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथ ततद् संबंधी पत्र–परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11. योजना में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों एवं वित्तीय नियमों के अनुरूप की जायेगी।

12. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरूद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोकर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभ्झाग को तुरंत देंगे।

13. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूिपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, कि दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

15. तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त स्थल विशेष योजनायें क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास कार्यालय में समर्पित करने के उपरान्त ही आवंटित राशि व्यय की जायेगी।

16. पूर्व प्रशासनिक स्वीकृति प्रापत राशि के अनुसार वन प्रमण्डलों को राशि आवंटित की जायेगी, किन्तु योजनाओं का व्यय "स्थल विशेष प्राक्कलन" योजना की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त राशि तक सीमित रखा जायेगा।

17. योजना के अंतर्गत स्थल के अनुरूप निर्धारित वानिकी मापदण्डों के अनुसार पौधों का रोपण किया जाना है।

18. रोपित पौधों/ वृक्षों में जीवित पौधों की आवश्यकतानुसार जाँच/ सत्यापन असम्बद्ध प्रमण्डल से कराई जायेगी।

19. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का आँकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

20. मजदूरों का भुगतान श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड द्वारा निर्धारित अद्यतन न्यूनतम मजदूरी दर के अनुरूप किया जायेगा तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदरों

का भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा।

21. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

22. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजनान्तर्गत वृक्षारोपण हेतु एक ही स्थल/ पथ आदि पर पूर्व स्वीकृत योजना द्वारा भी वृक्षारोपण आदि का कार्य न हो।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

F:\DEVELOPMENT\2016-17\Allotment\OA\RSP\42 dt 26.10.2015 (4)\S.O. 42 dt 26-10-2015 (4).doc

(170)

का भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा।

21. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

22. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजनान्तर्गत वृक्षारोपण हेतु एक ही स्थल/ पथ आदि पर पूर्व स्वीकृत योजना द्वारा भी वृक्षारोपण आदि का कार्य न हो।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

ह0/–

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0बजट–46/2015 (खण्ड–5)–697** दिनांक–**18.05.2016**

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, दक्षिणी छोटानागपुर, राँची/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर, पलामू, हजारीबाग/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, संथाल परगना, दुमका/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जमशेदपुर/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/ मुख्य वन संरक्षक, विश्व खाद्य कार्यक्रम, झारखण्ड, राँची/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, देवघर/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका/ एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

18/5/2016

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

F:\DEVELOPMENT\2016-17\Allotment\OA\RSP\42 dt 26.10.2015 (4)\S.O. 42 dt 26-10-2015 (4).doc

का भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा।

21. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

22. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजनान्तर्गत वृक्षारोपण हेतु एक ही स्थल/ पथ आदि पर पूर्व स्वीकृत योजना द्वारा भी वृक्षारोपण आदि का कार्य न हो।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

ह0/–

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0बजट–46/2015 (खण्ड–5)–697** दिनांक–**18.05.2016**

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, दक्षिणी छोटानागपुर, राँची/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर, पलामू, हजारीबाग/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, संथाल परगना, दुमका/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जमशेदपुर/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/ मुख्य वन संरक्षक, विश्व खाद्य कार्यक्रम, झारखण्ड, राँची/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, देवघर/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका/ एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

ह0/–

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0बजट–46/2015 (खण्ड–5)–697** दिनांक–**18.05.2016**

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची/ कोषागार पदाधिकारी, खूँटी/ कोषागार पदाधिकारी, सिमडेगा/ कोषागार पदाधिकारी, गुमला/ कोषागार पदाधिकारी, लातेहार/ कोषागार पदाधिकारी, जमशेदपुर/ कोषागार पदाधिकारी, सरायकेला–खरसावाँ/ कोषागार पदाधिकारी, चाईबासा/ कोषागार पदाधिकारी, दुमका/ कोषागार पदाधिकारी, गोड्डा/ कोषागार पदाधिकारी, पाकुड़/ कोषागार पदाधिकारी, साहेबगंज/ कोषागार पदाधिकारी, जामताड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

18/5/2016

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

F:\DEVELOPMENT\2016-17\Allotment\OA\RSP\42 dt 26.10.2015 (4)\S.O. 42 dt 26-10-2015 (4).doc

अनुलग्नक–1

वित्तीय वर्ष 2016–17 में कार्यान्वित की जाने वाली "पथतट रोपण–सह– शहरी वानिकी" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत बाँस गैबियन से वृक्षारोपण का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : रू0 221.61 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (गैबियन की संख्या)	वित्तीय वर्ष 2015–16 (समापन कार्य)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
i	ii	iii	vi	v	vi
1	राँची वन प्रमण्डल	4000	12.236	3.660	15.896
2	खूँटी वन प्रमण्डल	2500	7.648	2.287	9.935
3	सिमडेगा वन प्रमण्डल	1500	4.589	1.373	5.962
4	गुमला वन प्रमण्डल	4500	13.766	4.117	17.883
5	लातेहार वन प्रमण्डल	2000	6.118	1.830	7.948
6	जमशेदपुर वन प्रमण्डल	4500	13.766	4.117	17.883
7	सरायकेला वन प्रमण्डल	3000	9.177	2.745	11.922
8	चाईबासा वन प्रमण्डल	3500	10.707	3.203	13.910
9	कोल्हान वन प्रमण्डल	1500	4.589	1.373	5.962
10	पोड़ाहाट वन प्रमण्डल	1500	4.589	1.373	5.962
11	दुमका वन प्रमण्डल	4000	12.235	3.660	15.895
12	गोड्डा वन प्रमण्डल	4000	12.235	3.660	15.895
13	पाकुड़ वन प्रमण्डल	2500	7.648	2.288	9.936
14	साहेबगंज वन प्रमण्डल	3024	9.250	2.767	12.017
15	जामताड़ा वन प्रमण्डल	3000	9.177	2.745	11.922
16	सा0वा0 प्रमण्डल, लातेहार	2036	6.228	1.863	8.091
17	सा0वा0 प्रमण्डल, राँची	4975	15.218	4.552	19.770
18	सा0वा0 प्रमण्डल, सिमडेगा	2500	7.648	2.288	9.936
19	सा0वा0 प्रमण्डल, आदित्यपुर	3500	10.706	3.202	13.908
20	सा0वा0 प्रमण्डल, चाईबासा	3500	10.706	3.202	13.908
21	सा0वा0 प्रमण्डंल, दुमका	3500	10.706	3.202	13.908
22	विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमण्डल, दुमका	1500	4.589	1.373	5.962
	योग :–	**66535**	**203.531**	**60.880**	**264.411**

नोट :– वर्त्तमान में प्राप्त आवंटन के अनुरूप मजदूरी दर 218.50 रू0 प्रति मानव दिवस के अनुरूप उप आवंटन की जा रही है, शेष राशि 3.11 रू0 प्रति मानव दिवस के आधार पर सरकार से आवंटन प्राप्त होने के उपरान्त मजदूरी मद की राशि उप आवंटित की जायेगी।

(हस्ताक्षर) 8/5/2016

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

(167

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वितीय वर्ष 2016-17 मे व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 01/YB-46/2015/697

दिनांक - 18-May

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	P 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26229	DRNFWL013 RAJIV LOCHAN BAKSHI DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA	1,223,600.00 रुपये बारह लाख तेइस हजार छः सै
2	P 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26232	RNCFORK01 A.K. GUPTA D.F.O KHUNTI	764,800.00 रुपये सात लाख चौसठ हजार आठ सै
3	P 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26237	SDGFOR002 TAJBIR BHAGAT DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	458,900.00 रुपये चार लाख अठावन हजार नौ सै

योग: 2,447,300.00

क्रमिक योग: रुपये चौइस लाख सैतालीस हजार तीन सौ

10/5/2016

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)
ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND
RANCHI

172.16.20.1

Run Date: 18/5/2016

166)

पत्र संख्या - 01/YB-46/2015/697 | दिनांक - 18-May

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	P 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26241	GMLFOR001 AJIT KUMAR SINGH D.F.O. GUMLA	1,376,600.00 रुपये तेरह लाख छहत्तर हजार छः सौ
5	P 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26245	LTRFOR001 VIJAY SHANKAR DUBEY DFO FOREST DIV LATEHAR	611,800.00 रुपये छः लाख ग्यारह हजार आठ सौ
6	P 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26249	JSRFOR051 SHABA ALAM ANSARI D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.	1,376,600.00 रुपये तेरह लाख छहत्तर हजार छः सौ
7	P 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26255	SKLFOR001 A EKKA D. F. O. SERAIKELLA-KHARSAWAN	917,700.00 रुपये नौ लाख स त्र ह हजार सात सौ

योग: 4,282,700.00

क्रमिक योग: रुपये सड़सठ लाख तीस हजार 6,730,000.00

18/5/2016

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCHI

 172.16.20.1 Run Date: 18/5/2016

पत्र संख्या - 01/YB-46/2015/697 दिनांक - 18-May

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
8	P 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26260	SGHFOR010 KUMAR ASHUTOSH (I.F.S.) DFO.CHAIBASA FOREST DIV.	1,070,700.00 रुपये दस लाख सत्तर हजार सात सैं
9	P 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26269	SGHFOR002 SATISH CHANDRA RAI D.F.O.KOLHAN FOREST DIV.CBSA	458,900.00 रुपये चार लाख अठावन हजार नौ सैं
10	P 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26276	SGHFOR003 SRI.SHIV KUMAR PRASAD D.F.O.PORAHAT FOREST DIV.	458,900.00 रुपये चार लाख अठावन हजार नौ सैं
11	P 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26282	DMKFOR010 ABHISHEK KUMAR D.F.O.DUMKA	1,223,500.00 रुपये बारह लाख तेइस हजार पाँच सैं

योग: 3,212,000.00

क्रमिक योग: रुपये निन्नानवे लाख बयालीस हजार 9,942,000.00

10/5/2016

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)
ADDl.PCCF.DEV.JHARKHAND
RANCHI

164

पत्र संख्या - 01/YB-46/2015/697 दिनांक - 18-May

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
12	P 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26287	GDDFOR164 RAM BHARAT DFO GODDA FOREST DIVISION	1,223,500.00 रुपये बारह लाख तेइस हजार पाँच सौ
13	P 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26296	PKRFOR001 NAGENDRA BAITHA DIVISIONAL FOREST OFFICER	764,800.00 रुपये सात लाख चौसठ हजार आठ सौ
14	P 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26300	SBJFOR001 SRI KRISHNA KANT TIWARY DIV.FOR.OFF.SAHIBGNJ	925,000.00 रुपये नौ लाख पच्चीस हजार
15	P 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26306	JMTFOR001 RAJ KUMAR SAH D.F.O. JAMTARA	917,700.00 रुपये नौ लाख स त्र ह हजार सात सौ

योग: 3,831,000.00

क्रमिक योग: रुपये एक करोड सैतीस लाख तीहत्तर हजार 13,773,000.00

18/5/2016

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDLPCCF.DEV.JHARKHAND

RANCHI

172.16.20.1

Run Date: 18/5/2016

पत्र संख्या - 01/YB-46/2015/697 दिनांक - 18-May

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	P 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26310	LTRFOR004 RAMESH PRASAD SINGH D.F.O. SFD LATEHAR	622,800.00 रुपये छः लाख बाइस हजार आठ सौ
17	P 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26312	DRNFWL004 BIMAL LAKRA DFO.SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI	1,521,800.00 रुपये पंद्रह लाख इक्कीस हजार आठ सौ
18	P 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26316	SDGAIF002 SRI NIRANJAN PRASAD DEO DIV. F O SOC. FORESTRY SIMDEGA	764,800.00 रुपये सात लाख चौसठ हजार आठ सौ
19	P 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26320	JSRFOR116 SHIV KR PRASAD D.F.O.ADITYAPUR S.F.DIV.JSR.	1,070,600.00 रुपये दस लाख सत्तर हजार छः सौ

योग: 3,980,000.00

क्रमिक योग: रुपये एक करोड सित्योत्तर लाख तीरपन हजार 17,753,000.00

18/5/2016

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)
ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND
RANCHI

 172.16.20.1 Run Date: 18/5/2016

(67)

पत्र संख्या - 01/YB-46/2015/697 दिनांक - 18-May

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
20	P 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26322	SGHFOR001 SRI. LAXMI NATH BARAIK D.F.O.SOCIAL FORESTRY DIV.CBSA	1,070,600.00 रुपये दस लाख सत्तर हजार छः सै
21	P 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26325	DMKFOR003 SRI ARUN KISPOTTA D.F.O.S.F.DIVDUMKA	1,070,600.00 रुपये दस लाख सत्तर हजार छः सै
22	P 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26334	DMKFOR004 SRI KALI KINKER D.F.O.W.F.P.DUMKA	458,900.00 रुपये चार लाख अठावन हजार नौ सै
23	P 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26343	DRNFWL013 RAJIV LOCHAN BAKSHI DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA	366,000.00 रुपये तीन लाख छाछठ हजार

योग: 2,966,100.00

क्रमिक योग: रुपये दो करोड सात लाख उन्नीस हजार एक सौ 20,719,100.00

10/5/2016

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCHI

 172.16.20.1 Run Date: 18/5/2016

पत्र संख्या - 01/YB-46/2015/697 दिनांक - 18-May

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
24	P 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26344	RNCFORK01 A.K. GUPTA D.F.O KHUNTI	228,700.00 रुपये दो लाख अठाइस हजार सात सौ
25	P 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26346	SDGFOR002 TAJBIR BHAGAT DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	137,300.00 रुपये एक लाख सैतीस हजार तीन सौ
26	P 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26347	GMLFOR001 AJIT KUMAR SINGH D.F.O. GUMLA	411,700.00 रुपये चार लाख ग्यारह हजार सात सौ
27	P 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26349	LTRFOR001 VIJAY SHANKAR DUBEY DFO FOREST DIV LATEHAR	183,000.00 रुपये एक लाख तिरयासी हजा

योग: 960,700.00

क्रमिक योग: रुपये दो करोड सोलह लाख उन्नासी हजार आठ सौ 21,679,800.00

18/5/2016

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCHI

 172.16.20.1 Run Date: 18/5/2016

160

पत्र संख्या - 01/YB-46/2015/697 दिनांक - 18-May

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
28	P 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26354	JSRFOR051 SHABA ALAM ANSARI D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.	411,700.00 रुपये चार लाख ग्यारह हजार सात सौ
29	P 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26357	SKLFOR001 A EKKA D. F. O. SERAIKELLA-KHARSAWAN	274,500.00 रुपये दो लाख चौहत्तर हजार पाँच सौ
30	P 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26359	SGHFOR010 KUMAR ASHUTOSH (I.F.S.) DFO.CHAIBASA FOREST DIV.	320,300.00 रुपये तीन लाख बीस हजार तीन सौ
31	P 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26362	SGHFOR002 SATISH CHANDRA RAI D.F.O.KOLHAN FOREST DIV.CBSA	137,300.00 रुपये एक लाख सैतीस हजार तीन सौ

योग: 1,143,800.00

क्रमिक योग: रुपये दो करोड अठाइस लाख तेइस हजार छः सौ 22,823,600.00

18/5/2016

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)
ADDL.PCCF.DEV.JHARKHAND
RANCHI

 172.16.20.1 Run Date: 18/5/2016

पत्र संख्या - 01/YB-46/2015/697 दिनांक - 18-May

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
32	P 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26364	SGHFOR003 SRI.SHIV KUMAR PRASAD D.F.O.PORAHAT FOREST DIV.	137,300.00 रुपये एक लाख सैतीस हजार तीन सँ
33	P 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26365	DMKFOR010 ABHISHEK KUMAR D.F.O.DUMKA	366,000.00 रुपये तीन लाख छाछठ हजा
34	P 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26366	GDDFOR164 RAM BHARAT DFO GODDA FOREST DIVISION	366,000.00 रुपये तीन लाख छाछठ हजा
35	P 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26370	PKRFOR001 NAGENDRA BAITHA DIVISIONAL FOREST OFFICER	228,800.00 रुपये दो लाख अठाइस हजार आठ सँ

योग: 1,098,100.00

क्रमिक योग: रुपये दो करोड़ उनचालीस लाख इक्कीस हजार सात सौ 23,921,700.00

18/5/2016

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

 172.16.20.1 RANCHI Run Date: 18/5/2016

158)

पत्र संख्या - 01/YB-46/2015/697 दिनांक - 18-May

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
36	P 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26374	SBJFOR001 SRI KRISHNA KANT TIWARY DIV.FOR.OFF.SAHIBGNJ	276,700.00 रुपये दो लाख छहत्तर हजार सात सौ
37	P 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26377	JMTFOR001 RAJ KUMAR SAH D.F.O. JAMTARA	274,500.00 रुपये दो लाख चौहत्तर हजार पाँच सौ
38	P 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26380	LTRFOR004 RAMESH PRASAD SINGH D.F.O. SFD LATEHAR	186,300.00 रुपये एक लाख छियासी हजार तीन सौ
39	P 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26383	DRNFWL004 BIMAL LAKRA DFO.SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI	455,200.00 रुपये चार लाख पचपन हजार दो सौ

योग: 1,192,700.00

क्रमिक योग: रुपये दो करोड इकावन लाख चौदह हजार चार सौ 25,114,400.00

18/5/2016

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCHI

172.16.20.1

Run Date: 18/5/2016

(158

पत्र संख्या - 01/YB-46/2015/697 दिनांक - 18-May

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
40	P 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26385	SDGAIF002 SRI NIRANJAN PRASAD DEO DIV. F O SOC. FORESTRY SIMDEGA	228,800.00 रुपये दो लाख अठाइस हजार आठ सौ
41	P 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26388	JSRFOR116 SHIV KR PRASAD D.F.O.ADITYAPUR S.F.DIV.JSR.	320,200.00 रुपये तीन लाख बीस हजार दो सौ
42	P 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26391	SGHFOR001 SRI. LAXMI NATH BARAIK D.F.O.SOCIAL FORESTRY DIV.CBSA	320,200.00 रुपये तीन लाख बीस हजार दो सौ
43	P 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26393	DMKFOR003 SRI ARUN KISPOTTA D.F.O.S.F.DIVDUMKA	320,200.00 रुपये तीन लाख बीस हजार दो सौ

योग: 1,189,400.00

क्रमिक योग: रुपये दो करोड तीरसठ लाख तीन हजार आठ सौ 26,303,800.00

10/5/2016

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCHI

 172.16.20.1 Run Date: 18/5/2016

158 पत्र संख्या - 01/YB-46/2015/697 दिनांक - 18-May

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
44	P 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26397	DMKFOR004 SRI KALI KINKER D.F.O.W.F.P.DUMKA	137,300.00 रुपये एक लाख सैतीस हजार तीन सौ

योग: 137,300.00

क्रमिक योग: रुपये दो करोड चौसठ लाख इकतालीस हजार एक सौ 26,441,100.00

18/5/2016

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDL.PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCHI

172.16.20.1

Run Date: 18/5/2016

(155

अनुलग्नक–3

कार्य दर तालिका (प्रति गैबियन)

पथतट / संस्थानों आदि की भूमि पर बाँस –गैबियन में वृक्षारोपन

1. बाँस–गैबियन का आकारः 6'-6"x2'-6"x2'-6" 2. स्पेसिंग – पंक्ति से पंक्ति की दूरी – 3 मी0

– पौधे से पौधे की दूरी – 8 मी0

मजदूरी दर **221.61** प्रति मानव दिवस

क्र0 सं0	कार्य की विवरणी	इकाई	मानव दिवस (प्रति हे0)	मजदूरी, (रू0)	सामग्री प्रति हे0	कुल व्यय (रू0)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A)	**वित्तीय वर्ष 2016–18 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)**						
1	पौधों का मूल्य, मृत पौधों के प्रतिस्थापन हेतु 20 प्रतिशत अतिरिक्त पौधों के प्रावधान के साथ स्थल पर ढुलाई सहित		0.00	0.00	20.00	**20.00**	पौधों का क्रय विभागीय लम्बे पौधों की नर्सरी से किया जाएगा।
2	गड्ढ़े में डालने हेतु बालू एवं गोवर खाद का क्रय एवं मिश्रण बनाना ;1बजि बालू, बजि वर्णित कम्पोस्ट मिट्टी के साथ)		0.15	33.24	20.00	**53.24**	
3	पौधारोपण (DAP-50 ग्राम तथा कीटनाशक 4 ग्राम)		0.10	22.16	2.00	**24.16**	
4	तीन कोड़नी निकौनी (प्रथम– 5ग्रा. युरिया5 ग्राम कीटनाशक; द्वितीयः 10ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; तृतीयः 5 ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का वदलाव		0.15	33.24	4.50	**37.74**	
5	पटवन (रिक्शा/ठेला द्वारा)		0.50	110.81	25.00	**135.81**	
6	सुरक्षा		0.50	110.81	0.00	**110.81**	
7	साईन–बोर्ड एवं गैबियन नंबरिंग प्रति गैबियन		0.00	0.00	20.00	**20.00**	
	योग		**1.40**	**310.25**	**91.50**	**401.75**	

10/5/2016

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची